कार्यालयः नगर पंचायत, मनेर

पत्रांक 61 / दिनांक 4/2/19

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मनेर।

सेवा में,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार,
स्थानीय लेखा परिक्षा, शाखा बिहार, पटना।

विषय :– लेखा परिक्षा प्रतिवेदन सं0 1134/14–15 वितिय वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लेखा परिक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं के लंबित अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि लेखा परिक्षा प्रतिवेदन सं0 1134/2014–15 वितिय वर्ष 2012–13 से 13–14 के लेखा परिक्षा प्रतिवेदन की लंबित कंडिकाओं का अनुपालन निम्न प्रकार से है :–

भाग –2 ख

क्रम सं0	कंडिका	आपत्ती	अनुपालन
1	1	हैण्ड ट्रॉली एवं कुड़ा ढ़ोने वाला रिक्शा क्रय के संबंध में	उक्त कंडिका में उठाए गए आपती के संदर्भ में कहना है कि हैण्ड ट्रॉली एवं कुड़ा ढ़ोने वाला रिक्शा का क्रय दिनांक 06.08.12 को सशक्त स्थायी समिति सह क्रय समिति की बैठक सं0 2 प्रस्ताव सं0 11 के अनुसार की गई। इसके भूगतान में सुरक्षित जमा की कटौती जानकारी के अभाव में नही की गई। जिसका सुधार कर लिया गया है। तथा भविष्य मे इस तरह के कार्यो के निष्पादन मे अंकेक्षण महोदय के सूरक्षीत का अनुसरण किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
2	2	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना पर संदेहस्पद व्यय– 7.54 लाख	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपत्ति के संदर्भ मे कहना है कि स्टार वे इंटरनेशनल फाउण्डेशन भारतिय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत रजीस्ट्री है। अतः यह इस कार्य हेतु सक्षम है। जिसका साक्षय इसके साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
3	3	कार्यालय के लिए कुर्सी की खरीद के संबंध में	उक्त कंडिका में उठाए गए आपती के संदर्भ में कहना है कि कार्यालय हेतू कुर्सी का क्रय सशक्त स्थायी समिति सह क्रय समिति के दिनांक 02.01.12 को होने वाले बैठक

			सं0 01..... प्रस्ताव सं0 ..03..... के अनुसार की गई थी। इसके भूगतान में सुरक्षित जमा राशी की कटौती जानकारी के अभाव में नहीं की गई थी जिसका सुधार कर लिया गया है। तथा भविष्य मे इस तरह के कार्यो के निष्पादन मे अंकेक्षण महोदय के सुझाव का पालन किया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें। साक्ष्य संलग्न।
4	4	85 वॉट सोडियम वेपरलाईट एवं सी0एफ0एल0 लाईट की खरीद के संबंध में	उक्त के संबंध में कहना है कि कम कटौती किए गए वैट की राशि की वसूली हेतू आपुर्तीकर्ता खुशी इन्टरप्राइजेज के साथ पत्राचार किया जा रहा है।जिसे वसूलकर अगले अंकेक्षण में दिखा दिया जाएगा। उक्त सामग्री का क्रय सशक्त स्थायी समिति सह कय समिति के निर्णय के आधार पर किया गया था।जिसके भुगतान मे सुरक्षित जमा की कटौती जानकारी के अभाव में नहीं की गई थी भविष्य में इस तरह के कार्य में अंकेक्षण महोदय के सुझाव का ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। शेष बचे भेपर लाईटों का अधिष्ठापन अध्यक्ष महोदय के अनुशंसा पर किया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
5	5	वैट राशि की कटौती नई राशि 1.23 लाख	उक्त कंडिका में उठाए गए आपत्ति के संदर्भ में कहना है कि सभी योजनाओं जिनपर वैट की कटौती जानकारी के अभाव में नहीं की गई थी उन पर पत्राचार के माध्यम से इसकी मॉग की जा रही है तथा कुछ संवेदकों द्वारा वर्तमान में कुछ योजनाओं के कार्य किया जा रहा है। जिसमें से वैट की राशि का समायोजन कर लिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
6	6	संचार टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया 1.44 लाख	उक्त आपती के संदर्भ में कहना है कि संचार टावरों से संबंधित वाद सं0 3300/13 माननीय उच्च न्यायलय में लंबित होने के कारण इस पर रोक लगाया गया है। जिस कारण माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशो परांत ही कोई कार्यवाही की जाएगी। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें। साक्ष्य संलग्न।
7	7	एकरारनामा स्टांप पेपर पर नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि 1.51 लाख	उक्त कंडिका में उठाए गये आपति के संदर्भ में कहना है कि रजीस्ट्री अधिनियम 1908 की धारा 17 घ के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के बन्दोबस्ती में स्टांप शुल्क लेने का प्रावधान है चूँकि सभी किए गये बन्दोबस्ती की अवधि एक वर्ष से कम थी इसलिए इसपर स्टांप शुल्क नहीं लिया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
8	8 (क)	सुलभ शौचालय की बन्दोबस्ती	उक्त कंडिका में उठाए गये आपत्ति के आलोक में कहना है कि उक्त बन्दोबस्ती निर्धारित राशि से कम पर इसलिए की गयी कि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित राशि पर बन्दोबस्ती हेतु अपनी इच्छा नहीं दिखाई इसलिए

			सशक्त स्थायी समिति द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर इसे 2500 रू0 मासिक के आधार पर इसकी बन्दोबस्ती की गयी। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करे।
	(ख)	बस एवं जीप पड़ाव बन्दोबस्ती	उक्त कंडिका में उठाए गए आपति के आलोक में कहना है कि बन्दोबस्तधारी द्वारा निर्धारित तिथि 30.08.12 तक बकाया बंन्दोबस्ती की राशि नहीं जमा करने के कारण उसके औपबंधिक परवाना को आगे नहीं बढ़ाया गया तत्पश्चात् उस अवधि के लिए सशक्त स्थायी समिति की बैठक सं0 06 के प्रस्ताव सं0 4 तथा 5 में लिए गये निर्णय के आधार पर नगर पंचायत मनेर द्वारा अपने स्तर से वसूली कि गई। तथा नगर पंचायत में कर्मियों की कमी से होने वाली कठिनाईयों के कारण पुनः दिनांक 19.01.13 को 19.1.13 से 31.01.13 के लिए बन्दोबस्ती की गयी थी परंतु निर्धारित राशि पर इच्छुक व्यक्ति न मिलने के कारण कम राशि पर इसकी बन्दोबस्ती की गयी। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपितकरने की कृपा करें। साक्ष्य संलग्न।
	(ग)	सुरक्षित जमाराशि	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपत्ति के संदर्भ मे कहना है कि बंदोबस्ती हेतू निर्धारित राशी पर कोई भी व्यक्ति ने अपनी इच्छा व्यक्त नही कि अतः कम राशी पर इसकी बंदोबस्ती कर दी गई। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपितकरने की कृपा करें।
	(घ)	वाहन पड़ाव प्रवेश बिंदू पर शुल्क	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपत्ति के संदर्भ मे कहना है कि वर्ष 2012–2013 तथा 2013–2014 मे बंदोबस्ती हेतू निर्धारित राशी से कम पर बंदोबस्ती इच्छुक व्यक्ति के अभाव मे पड़ाव के प्रवेश बिंदू का मुख्य मार्ग पर कार्य चलने के कारण अवरुद्ध था। जिससे इस स्थिति मे उपेक्षित वसूली नही की जा सकती थी। अतः सश्क्त स्थायी समिति कि बैठक सं0–50 दिनांक–19.03.12 मे लिए गए निर्णय के आधार पर ही निर्धारित राशि से कम राशि पर अधिकतम बोली लगाने वाले बंदोबस्तधारी को इसकी बंदोबस्ती कर दी गई। अतः अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित किया जाए।
7	9	बी0आर0जी0एफ0 मद में कार्यान्वीत योजना जिला योजना समिति में पारित नही। रु–4156900.00	उक्त कंडिका के उठाए गए आपती के संदर्भ में कहना है कि उक्त योजना सशक्त स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर चलायी गई थी जो कि इसके लिए सक्षम है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
8	10	डिजल, मोबिल पर व्यय रु–228347.00	उक्त आपत्ति के संदर्भ में कहना है कि डिजल तथा मोबिल पर किए गए संपूर्ण व्यय से संबंधित संचिकाओं तथा अभिश्रवों में संग्रहित कर लिया गया है। जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें। साक्ष्य संलग्न

9	11	दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय 25.14 लाख	उक्त कंडिका के उठाए गए आपती के संदर्भ में कहना है कि दैनिक मजदुरों का भूगतान दिनांक 02.06.12 नगर पंचायत मनेर के बोर्ड की बैठक सं0 01 के प्रस्ताव सं0 04 में लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया। जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें।
10	12	नहीं जमा/कम जमा	उक्त के संबंध में कहना है कि विविध रसीद सं0 375 से 400 से प्राप्त राशि 410.00 रूप्या श्री मुकेश द्वारा जमा करा दी गई है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करें। साक्ष्य संलग्न

5

TAN

क्रम सं0	कंडिका सं0	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन / स्थिति
1	1	सरकारी अनुदान	उक्त आपत्ति के संबंध मे कहना है कि अनुदान पंजी का संधारण कर लिया गया है। जिसे की अगले अंकेक्षण मे दिखा दिया जायगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय।
2	2	वार्षिक लेखा का संधारण नही	उक्त आपत्ति के संबंध मे कहना है कि नगर पंचायत मनेर द्वारा वार्षिक लेखा का संधारण दोहरी लेखांकण प्रणाली से मेनुअल तथा साथ ही साथ कंप्यूटराइज्ड रुप मे किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित किया जाय। साक्ष्य संलग्न।
3	3	नगरपालिका लेखा समिति द्वारा कियान्वित कार्य	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपती के संदर्भ मे कहना है कि नगर पंचायत मनेर द्वारा लेखा समिति के गठन की प्रकिया की जा रही है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को अवगत कराया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा कि जाए।
4	4	वित्तिय विवरण एवं तुलना पत्र	उक्त आपत्ति के संबंध मे कहना है कि वित्तिय विवरण तथा तुलना पत्र तैयार कर लिया गया है। जिसकी छायाप्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा कि जाए।
5	5	परिसंपत्ति पंजी का संधारण नही	उक्त आपत्ति के संबंध मे कहना है कि नगर पंचायत मनेर द्वारा परिसंपत्ति पंजी का संधारण किया जा रहा है। जिसे कि अगले अंकेक्षण मे दिखा दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा कि जाए।
6	6	रोकड़ बही की त्रुटियाँ	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपत्ति के संदर्भ में कहना है कि अंकेक्षण महोदय द्वारा रोकड़ बहियों मे सुझाए गए त्रुटियों का सुधार कर

			लिया गया है। जिसे कि अगले अंकेक्षण मे दिखा दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका कि विलोपित करने कि कृपा करे।
7	7	वित्तिय अधिदृश्य	उक्त के संबंध मे कहना है कि पासबुक तथा रोकड़ बही के अंतर का समाशोधन कर लिया गया है । अतः उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा करे। साक्ष्य संलग्न।
8	8	सुरक्षित जमा राशि संवेधक से नही लिया जाना 17.59 लाख	उक्त कंडिका मे उठाए गए आपत्ति के संदर्भ मे कहना है कि योजनाओं मे सुरक्षित जमा कि राशि जानकारी के अभाव मे भूलवश कम काटी गई थी। जिसका सुधार कर लिया गया है तथा भविष्य मे इस तरह के कार्यो में अंकेक्षण महोदय के सुझाव को ध्यान मे रख कर कार्य किया जायगा। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने कि कृपा करें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अंकेक्षण प्रातिवेदन सं0 1134/14-15 का लंबित अनुपालन प्रतिवेदन स्वीकृत किया जाए।

विश्वासभाजन

04/04/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मनेर।

ज्ञापांक 61 दिनांक 4/2/19

प्रतिलिपि –विशेष सचिव, नगर विकाश एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सुचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

04/04/19

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मनेर।